तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/12/26	पत्रावली पेश हुई। डा० पत्र [illegible] अर्जी के जरिये मिसल 3 को [illegible] पर लिये गये। [illegible] की पेश हुआ जो आदेशिका पत्रावली शामिल गया। डा० पत्र पर तलब हुई गयी। डा० पत्र प्रार्थी [illegible] नहीं है। प्रार्थी [illegible] जाता है [illegible] [illegible] के [illegible] जावे आदेशिका [illegible] गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को आदेश [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

1– विनोद उम्र 35 साल पुत्र मोहन सिंह जाति– कहार निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली तह0 व जिला करौली राज0 (मृतक)

1/1– प्रियांशु उम्र 10 साल पुत्र विनोद
1/2– प्रिया उम्र 8 साल पुत्री विनोद
(1/1, 1/2) नावालिगान जरिये संरक्षक मां सुमन पत्नि विनोद उम्र 32 पत्नि विनोद उम्र 32 साल

1/3– सुमन पत्नि स्व0 विनोद उम्र 32 साल

2– मनोज उम्र 29 साल पुत्र मोहन सिंह

3– मिथलेश उम्र 38 साल
4– मंजू उम्र 27 साल
(3, 4) पुत्रीयान मोहन सिंह

5– शांति बेवा मोहनसिंह उम्र 65 साल

सभी जाति कहार निवासीयान–वजीरपुर बाहर करौली तहसील करौली

6– राजेश उर्फ राजेन्द्र उम्र 35 साल
7– सुरेन्द्र उम्र 32 साल
8– भोलू उम्र 29 साल
(6–8) पुत्रान राधेश्याम

9– रज्जो उम्र 39 साल
10– गुडडो उम्र 37 साल
(9, 10) पुत्रीयान राधेश्याम

11– नितिन उम्र राधेश्याम उम्र 22 साल
सभी जाति कहार निवासीयान –वजीरपुर बाहर करौली– तहसील व करौली

–**वादीगण**

बनाम

1– जगदीश
2– लक्ष्मण
(1, 2) पुत्रान मोतीलाल

3– गजानन्द पुत्र मोतीलाल (मृतक)
3/1– अमित पुत्र गजानन्द उम्र 14 साल नावालिग जरिये संरक्षक मां विधा पत्नि गजानन्द
3/2– बबीता उम्र 22 साल
3/3– रचना उम्र 20 साल
3/4– बुलबुल उम्र 18 साल
(3/2–3/4) पुत्रीयान गजानन्द

3/5– किरण उम्र 15 साल
3/6– गंगा उम्र 11 साल
(3/5, 3/6) पुत्रीयान गजानन्द नावालिगान जरिये सरंक्षक मां विधा पत्नि गजानन्द

3/7– विधा पत्नि गजानन्द उम्र 44 साल

4– पुष्पा
5– रामा
(4, 5) पुत्रीयान मोतीलाल

सभी जाति – कहार निवासी– कर्मचारी कॉलोनी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0
6–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली एवं उप पंजीयक करौली तहसील व जिला – करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

–**प्रतिवादीगण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत बटवारा व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट

मु.नं. 29/21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री इश्हाक अहमद, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19/2/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–29/2021 तारीख रजु:–20.07.2021

उनवान

1– विनोद उम्र 35 साल पुत्र मोहन सिंह जाति– कहार निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली तह0 व जिला करौली राज0 (मृतक)

1/1– प्रियांशु उम्र 10 साल पुत्र विनोद
1/2– प्रिया उम्र 8 साल पुत्री विनोद
} नावालिगान जरिये संरक्षक मां सुमन पत्नि विनोद उम्र 32 पत्नि विनोद उम्र 32 साल

1/3– सुमन पत्नि स्व0 विनोद उम्र 32 साल

2– मनोज उम्र 29 साल पुत्र मोहन सिंह

3– मिथलेश उम्र 38 साल
4– मंजू उम्र 27 साल
} पुत्रीयान मोहन सिंह

5– शांति बेवा मोहनसिंह उम्र 65 साल

सभी जाति कहार निवासीयान–वजीरपुर बाहर करौली तहसील करौली

6– राजेश उर्फ राजेन्द्र उम्र 35 साल
7– सुरेन्द्र उम्र 32 साल
8– भोलू उम्र 29 साल
} पुत्रान राधेश्याम

9– रज्जो उम्र 39 साल
10– गुडडो उम्र 37 साल
} पुत्रीयान राधेश्याम

11– नितिन उम्र राधेश्याम उम्र 22 साल

सभी जाति कहार निवासीयान – वजीरपुर गेट बाहर करौली– तहसील व करौली

–वादीगण

बनाम

1– जगदीश
2– लक्ष्मण
} पुत्रान मोतीलाल

3– गजानन्द पुत्र मोतीलाल (मृतक)

3/1– अमित पुत्र गजानन्द उम्र 14 साल नावालिग जरिये संरक्षक मां विधा पत्नि गजानन्द

3/2– बबीता उम्र 22 साल
3/3– रचना उम्र 20 साल
3/4– बुलबुल उम्र 18 साल
} पुत्रीयान गजानन्द

3/5– किरण उम्र 15 साल } पुत्रीयान गजानन्द नावालिगान जरिये सरंक्षक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

3/6— गंगा उम्र 11 साल मां विधा पत्नि गजानन्द

3/7— विधा पत्नि गजानन्द उम्र 44 साल

4— पुष्मा
5— रामा } पुत्रीयान मोतीलाल

सभी जाति — कहार निवासी— कर्मचारी कॉलोनी करौली तहसील करौली जिला करौली राज0
6—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली एवं उप पंजीयक करौली तहसील व जिला — करौली राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारा व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांक :— 19/2/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 5846/2 रकवा 1 वीघा 2 विस्वा वाके कस्बा करौली— बी पटवार हल्का करौली 9, तहसील करौली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करौली जिला करौली राज0 में स्थित है। जिसे में वादीगण नंबर 1 लगायत 5 का 1/7 व वादीगण नंबर 6 लगायत 11 का 1/7 हिस्सा व हक एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 3 का 3/7 व प्रतिवादी नंबर 4 व 5 का 2/7 हक व हिस्सा है। हक व हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदार काश्तकार काबिज है। सबूतन नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 दावे के साथ पेश है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। जिसके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अंकित है। वादीगण व प्रतिवादीगण ही कुटुम्बी परिवार के है उक्त आराजी का वादीगण व [illegible] तौर पर काश्त करते चले आ रहे है। चूकि उक्त आराजी [illegible] आबादी के बीचों बीच आ जाने से फसल होना सम्भव नहीं है [illegible] आवासीय प्रयोजनार्थ हो जाने से प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात [illegible] आवासीय नक्शा बना कर दिया बंटवारों किये उक्त विवादित आराजी को आवासीय प्लाट काटकर बेचने व निर्माण करने व कराने पर उतारू है। प्रतिवादी जगदीश व गजानन्द ने अपने हिस्से में से प्लाट का नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

बनवाकर बिना बंटवारे किये हुए रहन व वय करने व तामीर निर्माण कराने पर उतारू है। दिनांक 4-8-2018 को जब वादीगण नंबर 1 लगायत 3 अपनी उक्त आराजी पर तो प्रतिवादीगण उसमें नींच खुदवा रहे थे। वादीगण नंबर 1 ता 3 ने प्रतिवादीगण ने मना कि बिना बंटवारे आप नींव खुदवा कर निर्माण क्यो करवा रहे हो जो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो इस में साफ सफाई कर रहे है और इस में नींच भर कर निर्माण कार्य करवाये मना करने पर नही माने और प्रवितादीगण झगडा करने पर आमादा फिसाद हो गये। वादीगण द्वारा बंटवारा करने की कहने पर प्रतिवादीगण ने बंटवारा करने की साफ मना करते हुए झगडा फिसाद करने पर आमादा होने व प्लाट को रहन व वय करने की ऐलानिया धमकी देने पर नही मानने पर वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करोन के अधिकारी है। एवं विवादित आराजी का मुताबिक वादपत्र दर्ज हक व हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का वाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा कराकर अलग अलग हिस्सा व लगान अलग अलग कायम करवाने के हकदार व अधिकारी हैं। वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मुताबिक हिस्सा बंटवारा होना आवश्यक है। क्योंकि प्रतिवादीगण आवासीय भूखण्ड काटने व निर्माण करने पर उतारू है। और वादग्रस्त आराजी को बिना बंटवारा कराये अनजान व्यक्ति को रहन व वय करते हुए हस्तान्तरण दस्तावेज पंजीयन करने व करवाने पर आमादा है व वादीगण को जबरन वादग्रस्त हिस्से आराजी से बेदखल कर कराकर उपयोग उपभोग व कब्जे से वंचित करने पर आमादा है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है। विनाय मुखासमत दावा दिनांक 4-8-2018 को वादग्रस्त आराजी में प्लाट काटकर नींव भरनेव रहन व वय करने व हस्तान्तरण का दस्तावेज पंजीयन कराने की करे पर वादीगण द्वारा मना करने व वादग्रस्त आराजी का बंटवारा करने की कहने पर प्रतिवादीगण के झगडा फिसाद होने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अंदर मियाद है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया।

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 9.1.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर सरकार पैरोकार को बंटवारा स्कीम हेतु सरकार परौकार को लिखे जाने पर सरकार पैरोकार तहसीलदार (भू.अभि.), करौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि कस्बा करौली के खसरा नंबर 5846/2 में मौके पर आबादी मकानात बने होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है।

बहस वकील वादीगण व सरकार पैरोकार सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस वकील वादीगण द्वारा कथन किया है कि आराजी खसरा नंबर 5846/2 कस्बा करौली का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड हिस्सानुसार प्रतिवादी नंबर 1 ता 5 कराया जावे। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार कस्बा करौली के खसरा नंबर 5846/2 में मौके पर आबादी मकानात बने होने के कारण मौका अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार किया जाना संभव नहीं है। उक्त खसरा नंबरान को कृषि से अकृषि बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के प्लांटिग के रूप में उपयोग–उपभोग में लिया जाना सरकार पैरोकार से प्राप्त रिपोर्ट से साबित है। अतः दावा वादी चलने योग्य नहीं खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 151 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। तहसीलदार, करौली को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त रिपोर्ट के आधार उक्त खसरा नंबरान में धारा 177 आर टी एक्ट के तहत पृथक से प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार [illegible] डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...19.12.26... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:12:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)